# उ0 प्र0 सहकारी आवास संघ

उ0 प्र0 सहकारी आवास संघ का गठन उ0 प्र0 सहकारी आवास समिति अधिनियम, 1965 के अधीन सहकारी आवास समितियों की शीर्ष सहकारी समिति के रूप में वर्ष 1969 में किया गया था। उत्तरांचल राज्य के गठन के फलस्वरूप संघ का कार्यक्षेत्र उत्तरांचल मे भी होने के कारण संघ बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम (मल्टी स्टेट को आपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1984) के अन्तर्गत बहुराज्यीय संस्था के रूप में परिवर्तित हो गई है जिसका निबन्धन भी उक्त अधिनियम के अन्तर्गत हो चुका है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल में कुल 2319 सहकारी आवास समितियां निबन्धित है जिनमें से 1395 समितियाँ आवास संघ से सम्बद्ध है। आवास संघ के मुख्य उद्देश्य एवं कार्य-कलाप निम्नानुसार हैं :-

- गृह निर्माण योजना को कार्यान्वित करने के लिए भूमि पट्टे पर, विनिमय, क्रय या अन्य प्रकार से प्राप्त करना तथा उसे विकसित करना,
- सदस्यों को आवश्यकतानुसार निवास गृह बनाना या बनवाना और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना तथा प्राविधिक सलाह देना व दिलाना,
- सदस्यों को सीधी खरीद, किराया खरीद, (हायर पर्चेज) या किराए के आधार पर निवस गृह उपलब्ध कराना या देना,
- गृह निर्माण हेतु भूमि क्रय करने तथा गृह निर्माण के लिए सदस्यों को भूमि और भवन बन्धक रखकर ऋण देना,
- ऋण पत्रों (डिवेन्चर्स) तथा अन्य लेखों द्वारा ट्रस्टी की पूर्व अनुमति से धन प्राप्त करना,
- डिबेन्चर्स के अतिरिक्त अमानतें लेना तथा अन्य तरीकों से ऋण प्राप्त करना,
- राज्य सरकार के एजेण्ट के रूप में सदस्यों को ऋण प्रदान करना,
- सहकारी कालोनियों का विकास करना।